भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1880
31जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के तहत ओडीओपी एकीकरण की स्थिति

†1880. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी भारत, विशेष रूप से ओडिशा और झारखंड के जिलों में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ओडीओपी की सिफारिशों और कृषि उत्पादन आंकड़ों के बीच संरेखण का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय या आकांक्षी जिलों में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को निर्यात प्रमाणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायता दी जा रही है;

(घ) सरकार द्वारा उन्हें एपीडा के निर्यात के बुनियादी ढांचे और वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड़) ओडिशा और झारखंड के प्रत्येक जिले में आज तक पीएमएफएमई के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की संख्या, वितरण दर और जिलेवार उपयोग का पैटर्न क्या है;

(च) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद पीएमएफएमई के दूसरे चरण का प्रस्ताव करने के लिए कोई मध्यावधि मूल्यांकन या अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या वंचित क्षेत्रों में ऋण-सहबद्ध सब्सिडी और ओडीओपी आमेलन को जारी रखने के लिए किसी रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सिफारिशों और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श के आधार पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत पूर्वी राज्यों सहित देश भर के 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को मंजूरी दी है। इनमें से पश्चिम बंगाल को छोड़कर बिहार, ओडिशा और झारखंड सहित 92 जिलों के लिए ओडीओपी को मंजूरी दी गई है। पूर्वी राज्यों के लिए ओडीओपी का जिलावार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। परंतु, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएसी) के अनुमोदन से एमओएफपीआई को ओडीओपी में बदलाव की सिफारिश कर सकती हैं ।

(ग) और (घ): पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत, जनजातीय या आकांक्षी जिलों में एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समिति समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को पात्र परियोजना लागत के 50% तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ताकि गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, पैकेजिंग और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के पालन के प्रावधान के साथ एक साझा ब्रांड विकसित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अवसंरचना के विकास, गुणवत्ता, बाजार विकास आदि के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं सहित प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(ङ): 30 जून वर्ष 2025 तक, ओडिशा और झारखंड राज्यों में क्रमशः 81.24% और 70.67% की संवितरण दर के साथ पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 2239 और 3771 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिलावार विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा जिलावार उपयोग पैटर्न का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(च) और (छ): पीएमएफएमई योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक तृतीय-पक्ष मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। परंतु अब तक, सरकार को पीएमएफएमई योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद जारी रखने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी के एकीकरण की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

30 जून 2025 तक पूर्वी राज्यों के लिए ओडीओपी की जिलावार सूची

बिहार		
क्र.सं.	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1	अररिया	मखाना (फॉक्सनट)
2	अरवल	दाल आधारित उत्पाद (बेसन और सत्तू)
3	औरंगाबाद	स्ट्रॉबेरी आधारित उत्पाद
4	बांका	कतरनी चावल आधारित उत्पाद
5	बेगूसराय	मिर्च आधारित उत्पाद
6	भागलपुर	जर्दालु आम
7	भोजपुर	भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ और मिष्टान्न(खुरमा/ बेलग्रामी)
8	बक्सर	भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ (बतीसा या पापड़ी)
9	दरभंगा	मखाना (फॉक्सनट)
10	पूर्वी चंपारण	लीची आधारित उत्पाद
11	गया	तिल आधारित उत्पाद
12	गोपालगंज	पपीता आधारित उत्पाद
13	जमुई	लघु वन उपज (कटहल आदि)
14	जहानाबाद	दाल आधारित उत्पाद (बेसन और सत्तू)
15	कैमूर	चावल आधारित उत्पाद (पोहा, मुरमुरा आदि)
16	कटिहार	मखाना (फॉक्सनट)
17	खगरिया	केले आधारित उत्पाद
18	किशनगंज	अनानास आधारित उत्पाद
19	लखीसराय	टमाटर आधारित उत्पाद
20	मधेपुरा	आम आधारित उत्पाद
21	मधुबनी	मखाना (फॉक्सनट)
22	मुंगेर	चावल आधारित उत्पाद (पोहा, मुरमुरा आदि)
23	मुजफ्फरपुर	लीची आधारित उत्पाद
24	नालंदा	आलू आधारित उत्पाद
25	नवादा	पान की बेल
26	पटना	बेकरी उत्पाद
27	पूर्णिया	मक्का आधारित उत्पाद
28	रोहतास	चावल आधारित उत्पाद (पोहा, मुरमुरा आदि)
29	सहरसा	मखाना (फॉक्सनट)
30	समस्तीपुर	हल्दी
31	सारन	टमाटर आधारित उत्पाद
32	शेखपुरा	प्याज आधारित उत्पाद
33	शिवहर	केले आधारित उत्पाद
34	सीतामढ़ी	लीची आधारित उत्पाद
35	सीवान	मेन्था आधारित उत्पाद
36	सुपौल	मखाना (फॉक्सनट)
37	वैशाली	शहद
38	पश्चिम चंपारण	गन्ना आधारित उत्पाद
कुल		**38**

झारखंड		
क्र. सं.	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1	देवघर	पेड़ा
2	दुमका	पेड़ा
3	पूर्वी सिंहभूम	टमाटर आधारित उत्पाद
4	हजारीबाग	गुड़
5	जामताड़ा	मिर्च आधारित उत्पाद
6	खूंटी	लघु वन उपज (इमली)

7	कोडरमा	चूने आधारित उत्पाद
8	लातेहार	लघु वनोपज (महुआ)
9	लोहरदगा	शहद
10	पाकुड़	आम आधारित उत्पाद
11	रांची	अमरूद आधारित उत्पाद
12	साहेबगंज	आम आधारित उत्पाद
13	सरायकेला-खरस्वान	लघु वन उपज (चिरौंजी)
14	पश्चिमी सिंहभूम	कस्टर्ड एप्पल आधारित उत्पाद
15	बोकारो	कटहल आधारित उत्पाद
16	चतरा	टमाटर आधारित उत्पाद
17	धनबाद	आलू आधारित उत्पाद
18	गढ़वा	आलू आधारित उत्पाद
19	गिरिडीह	टमाटर आधारित उत्पाद
20	गोड्डा	आम आधारित उत्पाद
21	गुमला	हरी मिर्च
22	पलामू	टमाटर आधारित उत्पाद
23	रामगढ़	पपीता आधारित उत्पाद
24	सिमडेगा	आम आधारित उत्पाद
कुल		**24**

ओडिशा

क्रम सं.	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1	अनुगुल	आम आधारित उत्पाद
2	बालासोर	मछली आधारित उत्पाद
3	बारगढ़	तिलहन आधारित उत्पाद (मूंगफली)
4	भद्रक	मछली आधारित उत्पाद
5	बोलंगीर	दूध आधारित उत्पाद
6	बौध	दाल आधारित उत्पाद
7	कटक	दूध आधारित उत्पाद
8	देवगढ़	इमली आधारित उत्पाद
9	ढेंकनाल	दूध आधारित उत्पाद
10	गजपति	अनानास आधारित उत्पाद
11	गंजम	मछली आधारित उत्पाद
12	जगतसिंहपुर	दूध आधारित उत्पाद
13	जाजपुर	तिलहन आधारित उत्पाद (मूंगफली)
14	झारसुगुडा	मसाला आधारित उत्पाद (मिर्च)
15	कालाहांडी	मछली आधारित उत्पाद
16	कंधमाल	मसाले आधारित उत्पाद (हल्दी)
17	केंद्रपाड़ा	दूध आधारित उत्पाद
18	क्योंझर	उड़द आधारित उत्पाद
19	खोरधा	मछली आधारित उत्पाद
20	कोरापुट	मसाले आधारित उत्पाद (अदरक)
21	मल्कानगिरी	बाजरा आधारित उत्पाद
22	मयूरभंज	शहद आधारित उत्पाद
23	नबरंगपुर	मक्का आधारित उत्पाद
24	नयागढ़	गन्ना आधारित उत्पाद
25	नुआपाड़ा	बाजरा आधारित उत्पाद
26	पुरी	दूध आधारित उत्पाद
27	रायगढ़	इमली आधारित उत्पाद
28	संबलपुर	मसाला आधारित उत्पाद (मिर्च)
29	सुबरनपुर	आम आधारित उत्पाद
30	सुंदरगढ़	मशरूम आधारित उत्पाद
कुल		**30**

अनुबंध- II

"दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी के एकीकरण की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1880 के भाग ((ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

30 जून 2025 तक ओडिशा राज्य के लिए जिलावार स्वीकृत ऋणों की संख्या और संवितरण दर

क्र.सं.	ज़िला	स्वीकृत ऋणों की संख्या	संवितरण दर (%)
1	अनुगुल	55	70.91
2	बलांगीर	64	82.81
3	बालेश्वर	130	67.69
4	बारगढ़	91	84.62
5	भद्रक	74	82.43
6	बौध	9	44.44
7	कटक	214	78.50
8	देवगढ़	9	66.67
9	ढेंकनाल	54	81.48
10	गजपति	36	77.78
11	गंजम	494	88.46
12	जगतसिंहपुर	28	92.86
13	जाजापुर	41	78.05
14	झारसुगुडा	24	79.17
15	कालाहांडी	26	53.85
16	कंधमाल	11	54.55
17	केंद्रपाड़ा	55	74.55
18	केंदुझार	17	94.12
19	खोरधा	170	85.29
20	कोरापुट	57	92.98
21	मल्कानगिरी	20	50.00
22	मयूरभंज	33	87.88
23	नबरंगपुर	18	77.78
24	नयागढ़	102	83.33
25	नुआपाड़ा	9	88.89
26	पुरी	261	79.31
27	रायगढ़	44	81.82
28	संबलपुर	24	79.17
29	सोनेपुर	42	76.19
30	सुंदरगढ़	27	81.48
	कुल	**2239**	**81.24**

30 जून 2025 तक झारखंड राज्य के लिए जिलावार स्वीकृत ऋणों की संख्या और वितरण दर

क्र.सं.	ज़िला	स्वीकृत ऋणों की संख्या	संवितरण दर (%)
1	बोकारो	169	68.05
2	चतरा	163	52.15
3	देवघर	142	71.83
4	धनबाद	248	67.74
5	दुमका	196	78.57
6	पूर्वी सिंहभूम	273	59.71
7	गढ़वा	113	78.76

8	गिरिडीह	181	79.56
9	गोड्डा	235	63.83
10	गुमला	165	76.36
11	हजारीबाग	240	66.25
12	जामताड़ा	96	69.79
13	खूंटी	74	50.00
14	कोडरमा	75	81.33
15	लातेहार	143	71.33
16	लोहरदगा	118	72.88
17	पाकुड़	56	64.29
18	पलामू	113	84.96
19	रामगढ़	86	76.74
20	रांची	258	86.82
21	साहेबगंज	198	64.14
22	सरायकेला खरसावां	159	68.55
23	सिमडेगा	158	79.11
24	पश्चिमी सिंहभूम	112	66.07
	कुल	**3771**	**70.67**

*****